




**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkh@jharkhandmail.gov.in, Ph & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-13/2017- 338 दिनांक : 07/3/18

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियोजित दैनिक मजदूरों की मजदूरी भुगतान हेतु कुल **रु0 30117/- (तीस हजार एक सौ सत्रह रुपये)** मात्र राशि का अतिरिक्त ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-21/2017-16/स्वी0 व0प0 दिनांक 26.05.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-21/2017-52/आ0 व0प0 दिनांक 31.05.2017, इस कार्यालय का पत्रांक-920 दिनांक-20.07.2017, पत्रांक-1068 दिनांक-18.08.2017 एवं पत्रांक-1622 दिनांक-07.12.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची को पूर्व में दैनिक वेतनभोगियों के लिए कुल **4977785/-रुपये** का उप-आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ0डी0ए0, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में कार्यरत 1 दैनिक वेतनभोगी के एक माह के लिए एवं वन भवन कार्यालय के साफ-सफाई हेतु 15 दैनिक श्रमिकों को सात दिन के लिए मजदूरी मद में **30117/- (तीस हजार एक सौ सत्रह रुपये)** का उप-आवंटन की जा रही है।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 एवं ऑन-लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 के रूप में द्रष्टव्य है।

3. पूर्व उप-आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप-आवंटन है। पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।

